

(दुमका समाहरणालय)**जिला स्थापना शाखा**

आदेश संख्या- 191 /2017

सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के संकल्प संख्या-2981/वित्त, रांची, दिनांक-01.9.2009 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं सप्तम वेतन के संकल्प संख्या-217/वि0 दिनांक-18.01.17 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक-16.08.17 को आयोजित स्क्रीनिंग कमिटी-सह-जिला स्थापना समिति, दुमका की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार चतुर्थ वर्गीय संवर्ग के कर्मियों को सेवा सम्पुष्टि एवं लिपिक तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मियों 10/20/30 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के कारण संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क) चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सेवा सम्पुष्टि

क्र0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि
1	श्री रूपलाल गोस्वामी, चैनमेन, अंचल कार्यालय, मसलिया।	21.05.1961	30.11.2013	30.11.2016
2	श्री प्रशान्त कुमार मंडल, अनुसेवक, अंचल कार्यालय, मसलिया।	20.03.1969	22.02.2013	22.02.2016
3	श्री राकेश कुमार सिन्हा, अनुसेवक, अंचल कार्यालय, मसलिया।	05.08.1974	27.07.2013	27.07.2016

लिपिक/अनुसेवक संवर्ग का एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति

क्र0	कर्मचारी का नाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	10/20/30 वर्ष का एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति प्रदान करने की तिथि।	स्वीकृत पे-बैंड/ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	वकील मुर्मू, लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय मसलिया।	01.02.1968	09.08.1996	17.09.2000	09.08.16 (20 वर्ष)	सप्तम वेतन के प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति दी जाती है।
2	मो0 बाहा मरांडी, अनुसेवक, अंचल कार्यालय, जरमुण्डी।	25.11.1981	29.05.2007	29.05.2010	29.05.2017 (10 वर्ष)	सप्तम वेतन के प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति दी जाती है।

उपर्युक्त कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ निम्नांकित शर्तों के अनुसार देय होगा:-

- कर्मियों की सेवा पुस्तिका में नियमित संवर्गीय सेवा की निर्धारित अवधि का आकलन के पश्चात् ही वेतन का निर्धारण होगा।
- अनुशासनात्मक/दंडात्मक/फौजदारी मामला/विभागीय कार्यवाही/सरकारी कर्मियों के आचरण के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी मामले में संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

3. सभी कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित कर्मी संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधान के शर्तों को पूरा करते हैं तथा इस हेतु सर्वथा योग्य हैं। यदि इससे भिन्न कोई मामला प्रकाश में आता है तो वेतन निर्धारण के पूर्व वे पुनः जिला स्तर से निर्देश प्राप्त करेंगे। यह कार्यालय प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

4. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्राप्त करने बाद भी पदधारक मूल पद के कर्तव्यों का ही संपादन/निर्वाहन करेंगे तथा पदनाम भी संवर्गीय पद की रिक्ति एवं उनके विरुद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत रहेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होंगे एवं उनका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। कनीय कर्मी को कोई संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतम वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।

6. संबंधित कर्मी का वेतन भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) एवं (ए)(I) के प्रावधान तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वेतन निर्धारित किया जायगा। संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रदत्त वित्तीय लाभ अंतिम होगा। अर्थात् उच्चतर वर्ग के क्रियाशील पद के विरुद्ध पदस्थापन के समय पुनः कोई वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

7. वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची के पत्र संख्या-6/एस-06(प्रो0)-03/2009-1779/वि0, दिनांक-21.5.2014 के द्वारा राज्य कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सम्पुष्टि की प्रक्रिया समाप्त करने के विषय पर निर्गत संकल्प में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

8. नियमित प्रोन्नति के समय देय वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जायगा। फलस्वरूप वित्तीय उन्नयन के समय पूर्व से प्राप्त वेतन (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन को जोड़ने के पश्चात्) का 3(तीन) प्रतिशत (दस के गुणांक में) वेतन निर्धारण का लाभ देय होगा। बाद में यदि उसी ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वैसी स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। वैसे मामले जहां संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रदत्त ग्रेड वेतन से अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है वहां भी वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जायगा तथा नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड वेतन की अंतर की राशि मात्र देय होगी। (क्रमांक 1 के लिए लागू)

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक 915 /रथा0 दुमका दिनांक 03.10.17

प्रतिलिपि:- आयुक्त, संचाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड रांची/सचिव, राजस्व पंषद, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित कर्मी को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करा देंगे।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।